

न्यायालय ए०सी०जे०एम० प्रथम, सहारनपुर।

राज्य

बनाम

नदीम

धारा-317(2), 317(5) 336(2) बी०एन०एस०

थाना-कोतवाली देहात, सहारनपुर।

मु.अ.संख्या-100/2026

आदेश

18.03.2026

मुकदमा अपराध संख्या-100/2026, धारा-317(2), 317(5) 336(2) बी०एन०एस०, थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर के अन्तर्गत प्रार्थी/अभियुक्त नदीम की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, उसे दौरान वाद जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गई।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी निर्दोष है, उसे झूठा फसांया गया है। प्रार्थी जामीनान पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र पर जमानत का विरोध किया गया है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त दिनांक 15.03.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय एवं सात वर्ष से कम के अपराध से दण्डनीय है। प्रार्थनापत्र में लिये गये आधार पर्याप्त हैं। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

तदुसार अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 25 हजार रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

ए० सी० जे० एम० प्रथम,
सहारनपुर